[illegible]
मुकदमा संख्या 04/2025
निर्णय तारीख 23.04.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

राजस्व वाद संख्या :– 04/2025

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2025/61

अनवान

1. केकू देवी पत्नी पुरखाराम जाति विश्नोई निवासी पुर तहसील सांचौर।

प्रार्थी.............

1. सदाराम पुत्र पुरखाराम।
2. पांचाराम पुत्र पुरखाराम।
3. बाबुलाल पुत्र पुरखाराम।
4. मोहनलाल पुत्र पुरखाराम।
5. चेतनराम पुत्र पुरखराम जातियान विश्नोई निवासी पुर तहसील सांचौर ।
6. सरकार तहसीलदार सांचौर।

अप्रार्थीगण............

<u>प्रार्थना–पत्र बाबत रेकर्ड दुरूस्ती करने अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

तारीख रजु :– 27.03.2025

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता गोरधनराम विश्नोई उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं. 5 की ओर से इकबालिया जवाब, अप्रार्थी सं. 1 से 4 तर्क।
3. अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

:– निर्णय :–

दिनांक :– 23.04.2025

1. संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि मुझ प्रार्थी का नाम केंकु पत्नी पुरखाराम जाति विश्नोई निवासी पुर तहसील सांचौर है मुझ प्रार्थीया के बैंक पास बुक, परिचय पत्र मतदाता सुची, आधार कार्ड व अन्य सभी सरकारी दस्तावेजों में मेरा सही नाम केंकु पत्नी पुरखाराम नाम दर्ज है। मौजा कालूपुरा पटवार हल्का पुर के खेत खाता सख्यां 126 के खसरा नम्बर 1290, 1294, 1418/1829 जुमले रकबा 2.60 हेक्टर मुझ प्रार्थीया व अप्रार्थीगण सख्यां 1 व 5 की संयुक्त खातदारी [illegible] हुई है। जमाबन्दी व राजस्व रेकर्ड मे भूलवंश मेरा केली [illegible]। केली पत्नी पुरखाराम के साथ भूलवंश [illegible] है जबकि मेरा नाम कें[illegible] पुरखाराम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में इन्द्राज दुरस्त [illegible] किया जाना विधि सम्मत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.01 17:11:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि राजस्व रेकर्ड में मुझ प्रार्थीया का नाम केंकु पत्नी पुरखाराम दुरस्ती का आदेश प्रदान करने की कृपा करावे।

2. प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र बाद कार्यालय टिप्पणी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण 1 से 4 हित प्रभावित ना होने पर अप्रार्थी सं. 1 से 4 को तर्क किया गया। अप्रार्थी सं. 5 का ईकबालिया जवाब , अप्रार्थी सं. 6 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित ।

3. हमने अधिवक्ता प्रार्थीया की एकपक्षीय बहस सुनी, अधिवक्ता प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा कालूपुरा पटवार हल्का पुर के खेत खाता सख्यां 126 के खसरा नम्बर 1290, 1294, 1418 / 1829 जुमले रकबा 2.60 हेक्टर में प्रार्थीया का नाम भूलवंश केली पत्नी पुरखाराम लिख दिया गया जबकि प्रार्थीया का नाम हमेशा से ही केंकु ही है प्रार्थीया के नाम से बने अन्य किसी भी दस्तावेज में केंकु पत्नी पुरखाराम अंकित नही है। अतः निवेदन है कि उपरोक्त खसरा नंबर में प्रार्थीया का नाम केली पत्नी पुरखाराम से दुरूस्त कर केंकु पत्नी पुरखाराम लिखे जाने का आदेश फरमावें।

4. हमने अधिवक्ता प्रार्थीया की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर उस पर मनन किया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा उक्त प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आधार कार्ड व मतदाता परिचय पत्र का अवलोकन किया, उक्त अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त तमाम दस्तावेजात् के अनुसार प्रार्थीया का नाम केली पत्नी पुरखाराम की बजाय **केंकु पत्नी पुरखाराम** बदला जाना उचित प्रतीत होने से प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

–:आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण से निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि मौजा कालूपुरा पटवार हल्का पुर के खेत खाता सख्यां 126 के खसरा नम्बर 1290, 1294, 1418 / 1829 जुमले रकबा 2.60 हेक्टर में दर्ज प्रार्थी का नाम केली पत्नी पुरखाराम की बजाय **केंकु पत्नी पुरखाराम** के नाम की राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती की जावें। पालनार्थ तहसीलदार सांचौर को तहरीर जारी हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.01 17:11:00 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक **23.04.2025** [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner